न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी: अरूण कुमार जैन R.A.S.

वाद संख्या: 34/2012

1. उदयराम आत्मज कड़ीलाल जाति माली निवासी कारोई कलां तहसील व जिला- भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. हीरालाल आत्मज स्व. नानूराम जाति माली निवासी कारोई कलां तहसील भीलवाड़ा जिला- भीलवाड़ा
2. शिवलाल आत्मज स्व. नानूराम जाति माली निवासी कारोई कलां तहसील भीलवाड़ा जिला- भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील भीलवाड़ा जिला- भीलवाड़ा
4. उपपंजीयक भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण

1. श्री ~~[illegible]~~ मांगीलाल सेन - वादी अधिवक्ता
2. श्री किशनलाल कुमावत - प्रतिवादी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

निर्णय दि. 24/12/24

निर्णय

आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के निर्णय वास्ते पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार है कि वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु ग्राम कारोई कलां की आराजी नं. 1549 रकबा 2.04 बीघा बाबत वाद पेश किया गया था। प्रतिवादी/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 23/3/2018 को अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी में एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में समस्त आवश्यक पक्षकारों को कायम नहीं किया गया है, वादी द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी (राजस्व रिकॉर्ड) में वादग्रस्त भूमि के समस्त सहखातेदारों को पक्षकार कायम नहीं किया गया है, इसलिये वादपत्र में पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार

— लगातार —

24/12/24
सहायक कलक्टर
ड़ा

(1) लगा.
(4)

वाद सं. 341/2012 उदयराम V/s हीरालाल वगै.

शेष पर वाद पेश किया गया है, जो कानूनन खारिज योग्य है साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि होकर विरासत से प्राप्त हुई है तथा वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये बहस में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुई है, इस हेतु साक्ष्य स्वरूप सम्वत् 2016-19 की खाता सं. 407 की जमाबंदी, मिलान खेतकल की प्रतियाँ पेश की हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र की बहस करते हुये निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वर्ष 1986 में सहमति से खाता-विभाजन कराया गया था जिसमें वादग्रस्त भूमि में उभयपक्षकारान् बराबर-बराबर हक हिस्से के खातेदार हैं। अतः जब वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मौरूसी सम्पत्ति होकर सहखातेदारी की भूमि है, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में चाहा गया अनुतोष वादी प्राप्त करने का हकदार नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दीवानी के प्रार्थना पत्र के जवाब में स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण मूल वादपत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तथा वाद के अंतिम निस्तारण में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं, इसलिये प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। साथ ही अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पत्ति है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुई है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी सम्पत्ति है, परन्तु वादी तथा प्रतिवादीगण के बाबत् जो सहमति बंटवारा किया गया था, वादग्रस्त भूमि के बाबत् जो सहमति बंटवारा किया गया था, वह दोषपूर्ण था, उसके विरुद्ध भी हमारे द्वारा अपील की गई थी जो खारिज हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का मूल आधार हाल खसरा नं. 1549 ~~को~~ को राजस्व नक्शे में जिस प्रकार दर्ज किया गया है, वह स्वाविक खसरा नं०

—लगातार—

(2)

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

1/2/2011 879 से बना है ना कि 897 से। इसे साबित करने हेतु हमारे द्वारा ग्राम करोईकलां के सम्वत् 1934 के राजस्व नक्शे की प्रति दौराने बहस पेश की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से आराजी नं. 879 की आकृति हाल आराजी नं. 1549 से साम्यता प्रदर्शित करती है अतः वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष का आधार राजस्व नक्शे में त्रुटि होने से हाल आराजी नं. 1549 में घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दीवानी को खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा रिवीटल बहस में निवेदन किया गया कि वादी द्वारा सहमति बंटवारे की भूमि के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में निरन्तर वाद प्रस्तुत कर न्यायालय का समय व्यर्थ किया जा रहा है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ अपने वाद को साबित करने हेतु आवश्यक दस्तावेजात पेश करने चाहिये थे, वादी द्वारा साबिक खसरा नम्बरान् का नक्शा ना तो वादपत्र के साथ पेश किया है और नाहीं वादपत्र में अंकित साबिक खसरा नं. 879 की जमाबंदी पेश की है। जहाँ तक हाल आराजी नं. 1549 के स्वामित्व का प्रश्न है, आराजी नं. 1549 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार साबिक खसरा नं. 897 से बना है तथा आराजी नं. 1549 सहमति से बंटवारा होकर वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है इस प्रकार आराजी नं. 1549 सहखातेदारी की औसती सम्पत्ति होने से वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और सह-खातेदारों के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिये अधिकृत नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अन्य सहखातेदारों को ना तो प्रतिवादी बनाया गया है और ना ही वादी के रूप में संयोजित कराया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कुसंयोजन के आधार पर पेश

— लगातार —

(हस्ताक्षर)
न्यायाधीश
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद सं 341/12 उदयराम V/s हीरालाल वगै०

11/12/24 किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी गण प्रस्तुत प्रार्थना, पत्र, अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब, वादीद्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभयपक्षकारान् द्वारा की गई बहस का चिंतन एवं मनन किया गया। सम्बन्धित विधि का अनुशीलन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अध्ययन एवं मनन किया। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के चिंतन एवं मनन तथा सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन उपरान्त हम यह उचित समझते हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित वादग्रस्त भूमि मौकसी समाप्त होकर खातेदारी भूमि है तथा वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य सहमति से वर्ष 1986 में बंटवारा हुआ था, उक्त बंटवारे को निरस्त कराने हेतु भी माननीय न्यायालय जिला कलक्टर में अपील प्रस्तुत की गई थी, जो खारिज हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाते, वादग्रस्त भूमि के मौकसी समाप्त होकर खातेदारी भूमि होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दीवानी प्रथमदृष्टया स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दीवानी स्वीकार किया जाता है।

आदेश/निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किये जाने से वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली मौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

11/12/24
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

# न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. उदयराम पुत्र बद्रीलाल जाति माली आयु वयस्क निवासी कारोईकलां, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. हीरालाल पुत्र नानूराम जी जाति माली उम्र 50 वर्ष निवासी कारोईकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. शिवलाल पुत्र नानूराम जी जाति माली उम्र 50 वर्ष निवासी कारोईकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. उप पंजीयक भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घौषणा इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा**

प्रकरण संख्या 341 / 2012 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 24.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किये जाने से वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

24/12/24

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा